सोशल मीडिया सेल आजमगढ़

पत्र सं0- 323/21 **दिनांक- 06 जुलाई 2021**

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना तरवां

पुलिस टीम पर फायर करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 05.07.2021 को बाबत उपद्रवी/विपक्षी 1. लालमैन पुत्र भोला यादव 2. सोविन्द यादव उर्फ गोलू पुत्र भोला यादव 3. अरविन्द यादव पुत्र भोला यादव 4. नन्दलाल यादव पुत्र लालजी यादव 5. पवन यादव उर्फ झिल्लू पुत्र बाबूराम यादव समस्त साकिनान ग्राम बघरा थाना तरवा आजमगढ़ व 03-04 अज्ञात व्यक्ति द्वारा पिकेट ऊचहुवां पर लगे पुलिस वालों को एक राय गोलबंद होकर गाली गुप्ता व जान से मारने की धमकी देते हुये कार्य सरकार में बाधा पहुंचाते हुये एक उद्देश्य बनाकर लाठी डंडा व ईंट पत्थर से हमला कर व जान से मारने की नियत से लक्ष्य बनाकर नाजायज असलहा (कट्टे) से फायर करना तथा वहां कल्पनाथ राजभर उर्फ बाला की दूकान के सामाने आकर रखी कुर्सियों व पंखों में तोड़ फोड़ करना जिससे उचहुआ बाजार में अफरा-तफरी का माहौल उत्पन्न हो जाने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 97/2021 धारा 143/323/504/506/332/336/353/427/307/34 भादवि व 7 CLA एक्ट बनाम 1. लालमैन पुत्र भोला यादव 2. सोविन्द यादव उर्फगोलू पुत्र भोला यादव 3. अरविन्द यादव पुत्र भोला यादव 4. नन्दलाल यादव पुत्र लालजी यादव 5. पवन यादव उर्फ झिल्लू पुत्र बाबूराम यादव निवासीगण बघरा थाना तरवां जनपद आजमगढ़ व 3-4 व्यक्ति अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ सुधीर सिंह द्वारा चलाये जा रहे वांछित अभियुक्त/वारण्टी अभियुक्तो की गिरफ्तारी के अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज कुमार पाण्डेय व क्षेत्राधिकारी लालगंज मनोज कुमार रघुवंशी के कुशल निर्देशन में व प्रभारी निरीक्षक तरवां स्वतंत्र कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 06.07.2021 को व0उ0नि0 संजय कुमार मय उ0नि0 सौरभ त्रिपाठी मय हमराह का0 पिन्टू यादव, का0 कृष्ण कुमार, रि0का0 अभिषेक कुमार व म0का0 बीनू सिंह के बिनावर विवेचना व देखभाल क्षेत्र में मामूर होकर मंहगूगंज बाजार मे मौजूद थे कि द्वारा मुखबिर खास सूचना मिली कि मु.अ.स. 97/2021 धारा 143/323/504/506/332/336/353/427/307/34 भादवि व 7 CLA ACT थाना तरवां के नामजद अभियुक्त लालमैन यादव पुत्र भोला यादव व सोविन्द यादव पुत्र भोला यादव तथा नन्द लाल यादव पुत्र लालजी यादव एक ही मोटरसाइकिल से बैठकर भागने का प्रयास कर रहे है जो बीबीपुर से होते हुए चिरैयाकोट की तरफ जाने के फिराक में है कि सूचना पर विश्वास करके व0उ0नि0 मय हमराहियान मय मुखबिर के रवाना होकर बीबीपुर गांव के पूरब प्राइमरी स्कूल के पास बनी पुलिया के पास छिप छिपाकर आने वालो की प्रतीक्षा करने लगे कि कुछ ही देर में उचहुंवा की तरफ से एक मोटरसाइकिल पर सवार तीन लोग आते दिखाई दिये जिन्हे मुखबिर ने देखकर इशारा करके बताया कि यही वो लोग है और चला गया कि मोटरसाइकिल के पास आते ही पुलिस टीम ने एक बारगी दौड़कर घेरकर आवश्यक बल प्रयोग करके तीनो व्यक्तियो को मोटरसाइकिल सहित पुलिया से करीब 15 कदम की दूरी पर उचहुंवा जाने वाली रोड पर समय 08.50 बजे पकड़ लिया। नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो एक ने अपना नाम सोविन्द यादव उर्फ गोलू पुत्र भोला यादव साकिन बघरा थाना तरवां जनपद आजमगढ़ उम्र 27 वर्ष बताया जिसकी जामा तलाशी ली गयी तो उसके पास से एक अदद तमन्चा देशी 315 बोर , दो अदद कारतूस 315 बोर जिसमें एक जिन्दा कारतूस व एक मिस कारतूस बरामद हुआ। दूसरे ने अपना नाम लालमैन यादव पुत्र भोला यादव सा. बघरा थाना तरवां आजमगढ़ उम्र 25 वर्ष तथा तीसरे ने अपना नाम नन्दलाल यादव पुत्र लालजी यादव सा. बघरा थाना तरवां जनपद आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष बताया। अभियुक्त सोविन्द यादव के कब्जे से बरामद तमन्चा व कारतूस के बारे में कड़ाई से पूछने पर बताया कि कल दिनांक 5.7.2021 को शाम करीब 8.30 बजे उचहुंवा ड्यूटी में लगे पुलिस के लोगो से हम लोगो की झड़प हो गयी थी जिसमें मैने व मेरे

गांव के लालमैन यादव , नन्दलाल यादव व अरबिन्द यादव , पवन यादव तथा गांव के 5 - 6 लोगो ने मिलकर पुलिस वालो के साथ मारपीट किया था तथा मैने इसी तमन्चे से जान से मारने की नियत से पुलिस वालो के ऊपर फायर भी किया था। विवेचना से अभियुक्तो के विरुद्ध धारा 147/148/149 भादवि का अपराध पाये जाने के कारण धारा 143 भादवि का विलोपन करते हुए धारा 147/148/149 भादवि की बढोत्तरी की जाती है। अग्रेतर विवेचना धारा 147/148/149/323/504/506/332/336/353/427/307/34 भादवि व 7 CLA ACT के अन्तर्गत सम्पादित की जायेगी। अभियुक्त सोविन्द यादव को जुर्म धारा 147/148/149/323/504/506/332/336/353/427/307/34 भादवि व 7 CLA ACT व 3/25 शस्त्र अधिनिमय का तथा अभियुक्तगण लालमैन यादव व नन्दलाल यादव को जुर्म धारा 147/148/149/323/504/506/332/336/353/427/307/34 भादवि व 7 CLA ACT का बताकर बाजाफ्ता हिरासत पुलिस में लिया गया। मोटरसाइकिल के कागजात तलब करने पर दिखाने से कासिर है अतः मोटरसाइकिल पल्सर बरंग काली न. UP50AR 3032 को ECHALLAN एप के माध्यम से अन्तर्गत धारा 207 MV ACT सीज किया गया।

पंजीकृत अभियोग -

1. मु.अ.स. 97/2021 धारा 143/323/504/506/332/336/353/427/307/34 भादवि व 7 CLA ACT थाना तरवां जनपद आजमगढ़
2. मु.अ.स. 98/2021 धारा 3,25 A ACT बनाम सोविन्द यादव पुत्र भोला यादव निवासी ग्राम बघरा थाना तरवां जनपद आजमगढ़

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण</u>

1. लालमैन पुत्र भोला यादव
2. सोविन्द यादव उर्फ गोलू पुत्र भोला यादव
3. नन्दलाल यादव पुत्र लालजी यादव निवासीगण बघरा थाना तरवां जनपद आजमगढ़

<u>फरार अभियुक्त</u>

1. अरविन्द यादव पुत्र भोला यादव
2. पवन यादव उर्फ झिल्लू पुत्र बाबूराम यादव निवासीगण बघरा थाना तरवां जनपद आजमगढ़ व 3-4 व्यक्ति अज्ञात

बरामदगी – गिरफ्तार शुदा अभियुक्त सोविन्द यादव उर्फ गोलू उपरोक्त के कब्जे से एक अदद अवैध तमन्चा 315 बोर व 02 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर जिसमें एक जिंदा व एक मिस कारतूस तथा मोटरसाइकिल पल्सर बरंग काली न. UP50AR 3032 बरामद हुआ।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम</u> –

व0उ0नि0 संजय कुमार मय हमराह

<u>थाना- अहरौला,आजमगढ</u>

<u>चोरी की मोटर साइकिल सहित एक नफर अभियुक्त गिरफ्तार</u>

दिनाकं 28.06.2021 को समय घटना स्थल रसूलपुर अहमद अली मे अज्ञात अभियुक्त द्वारा पिंटू कुमार गौतम पुत्र धर्मू सा0 रसूलपुर अहमद अली थाना अहरौला आजमगढ़ की मो0सा0 नं0- UP50AZ

1190 को चुरा ले जाना जिसके संबंध में मु0अ0सं0 103/2021 धारा 379 भादवि दिनांक 30.06.21 पंजीकृत हुआ। जिसकी विवेचना उ0नि0 विजयप्रकाश मौर्य के द्वारा सम्पादित की जा रही है।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चोर/लुटेरों/वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध मे चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे तथा अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर के निर्देशन में व थानाध्यक्ष अहरौला श्रीप्रकाश शुक्ल के कुशल नेतृत्व मे चौकी प्रभारी माहुल उ0नि0 विजय प्रकाश मौर्य मय हमराही पुलिस बल द्वारा मु0अ0सं0 103/2021 धारा 379 भादवि से सम्बन्धित माल व मुल्जिम को मुखबिर की सूचना पर समसल्लीपुर से समय करीब 07.30 बजे गिरफ्तार किया गया व एक अदद मो0सा0 हीरो एच एफ डीलक्स नं0 UP50AZ 1190 की बरामदगी की गयी। पुछताछ पर अपना नाम राहुल पुत्र पुत्तुल सा0 मोलनापुर थाना अहरौला आजमगढ़ बताया। गिरफ्तारशुदा उपरोक्त व्यक्ति थाना हाजा के मु0अ0सं0 154/2020 धारा 323/504/506/307/427 भादवि में नामजद वांछित अभियुक्त है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण - पुछताछ पर बता रहा है कि साहब मेरे पास यह चोरी की मो0सा0 है ,जिसे मैने दिनांक 28.06.21 को रात्रि मे ग्राम रसूलपुर अहमद अली से चोरी किया था मेरे उपर काफी मुकदमा थाना फूलपुर मे तथा एक मुकदमा थाना अहरौला मे भी दर्ज है जिससे कारण पुलिस को देखकर मै भाग ही रहा था कि आप लोगो द्वारा पकड़ लिया इस प्रकार जुर्म का इकबाल कर रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

राहुल पुत्र पुत्तुल सा0 मोलनापुर थाना अहरौला , आजमगढ़

बरामदगी-

एक अदद मो0सा0 हीरो एच एफ डीलक्स नं0 UP50AZ 1190

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 103/2021 धारा 379/411 भादवि थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

1) मु0अ0सं0 103/2021 धारा 379/411 भादवि थाना अहरौला जनपद आजमगढ़
2) मु0अ0सं0 154/2020 धारा 323/504/506/307/427 भादवि थाना अहरौला जनपद आजमगढ़
3) मु0अ0सं0 276/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़
4) मु0अ0सं0 331/2016 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़
5) मु0अ0सं0 0086/2015 धारा 41/109 सीआरपीसी थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 विजयप्रकाश मौर्य ,का0 दीपनारायण यादव थाना अहरौला ,आजमगढ़

थाना अतरौलिया

बरामदगी एक अदद पिकप वाहन मय दो अदद गोवंश

पुलिस अधीक्षक आजमगढ सुधीर कुमार सिंह द्वारा गौवंश की तस्कारी करने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री सिद्धार्थ व क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर महेन्द्र कुमार शुक्ला व प्रभारी निरीक्षक पंकज पाण्डेय अतरौलिया के कुशल निर्देशन में आज दिनाँक 06/07/2021 को SI जीतेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह हे0का0 श्यामवीर सिंह, का0 उमेश सिंह,का0 सुमन प्रभात के साथ मय सरकारी वाहन नं0 UP62 AG0230 से बाद समाप्त गस्त व तलास वांछित अभि0 एदिलपुर से वापस आ रहे थे कि जरिये मुखबिर सूचना मिली की गोवंश लदा पिकप गोवध के लिये आने वाली है। पुलिस टीम समय करीब 5.00 बजे सुबह जैसे ही बढया गाँव तरफ जाने वाले मोड़ पर पहुची तो देखा कि एक पिकप वाहन तेज गति से बढ़या मार्केट की तरफ से आती हुयी दिखायी दी पिकप चालक जैसे ही पुलिस वाहन को देखा तो गाड़ी और तेज गति से भगाने लगा पुलिस टीम ने पीछा किया तो बढया से सेनपुर जाने वाली रोड पर सड़क के बाये किनारे पिकप खड़ी करके

चालक गाड़ी छोड़कर गन्ने के खेत की तरफ भाग गया तथा चालक के बगल बैठा एक व्यक्ति बडी तेजी से चालक के पीछे गन्ने के खेत में भाग गया । मौके पर पिकप को देखा गया जिसका रजि 0 नं0 UP50 AT9186 तथा पीछे देखा गया तो दो गोवंश मौजूद थे। मौके पर मौजूद पिकप व दो अदद गौवंश कब्जा पुलिस लिया गया। फरार अभियुक्तों की तलाश की जा रहा है तथा बरामद पिकप जब्त कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0स0 111/21 धारा 3/5A/8 गौ हत्या निवारण अधि0 बनाम 1. पिकप वाहन नं0 UP50 AT9186 का चालक नाम पता अज्ञात 2. एक व्यक्ति नाम पता अज्ञात

बरामदगी –

एक अदद पिकप UP50 AT9186 व 02 गौवंश

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

1. SI जीतेन्द्र कुमार सिंह थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़
2. हे0का0 श्यामवीर सिंह अतरौलिया जनपद आजमगढ़
3. का0 उमेश सिंह थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़
4. का0 सुमन प्रभात थाना थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

थाना रौनापार

बरामदगी एक अदद तमंचा 12 बोर व एक अदद जिन्दा कारतुस 12 बोर

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के आदेश के अनुपालन में व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण , क्षेत्राधिकारी सगड़ी व थानाध्यक्ष रौनापार के नेतृत्व में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना क्षेत्र रौनापार में उ 0नि0 मदन कुमार गुप्ता मय हमराह द्वारा थाना रौनापार क्षेत्र अन्तर्गत त्रुटि रहित चेकिंग की जा रही थी। दौरान चेकिंग जरिये मुखबिर खास की सूचना पर सुरौली पुलिया वहद ग्राम महुला से समय करीब 09.35 बजे एक नफर अभियुक्त दिनेश कुमार पुत्र कालीचरन निवासी महुला थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ को एक अदद तमंचा 12 बोर व एक अदद जिन्दा कारतुस 12 बोर के साथ गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अभियुक्त दिनेश कुमार पुत्र कालीचरन निवासी महुला थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

बरामदगी-

एक अदद तमंचा 12 बोर व एक अदद जिन्दा कारतुस 12 बोर

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 118/2021 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 मदन कुमार गुप्ता **थाना रौनापार जनपद आजमगढ़**
2. का0 संदीप शर्मा थाना **रौनापार जनपद आजमगढ़**
3. का0 सत्यप्रकाश यादव थाना **रौनापार जनपद आजमगढ़**

थाना- बरदह

हत्या के आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में आज दिनांक 06.07.21 को प्रभारी निरीक्षक विनय कुमार मिश्रा मय हमराह का0 ऐनुद्दीन फारूकी , का0 हेमन्त कुमार , रि0का0 चन्द्रभूषण के थाना हाजा से रवाना होकर देखभाल क्षेत्र व पेण्डिग मुकदमात मु0अ0स0 141/21 धारा 147/148/149/452/302/307 भा0द0वि0 7 सी0एल0ए0 एक्ट थाना बरदह जनपद आजमगढ की विवेचना मे ठेकमा बाजार मे मौजूद थे कि जरिये मुखविर खास सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वांछित अभि0 सत्यशील तिवारी पुत्र स्व0 श्यामाचरन तिवारी सा0 बौवापार थाना बरदह जनपद आजमगढ अपनी स्विफ्ट कार से जौनपुर की तरफ जायेगा और कही बाहर जाने की फिराक मे है इस सूचना पर विश्वास कर पुलिस टीम मय मुखविर के उसके बताने के मुताबिक **जिवली तिराहे** पर संदिग्ध व्यक्ति / वाहन की चेकिंग की जा रही थी कुछ देर बाद एक सफेद फोरव्हीलर आजमगढ की तरफ से आती हुई दिखाई दी मुखविर खास इशारा करके हट गया नजदीक आने पर स्विफ्ट कार बिना नम्बर को रोक कर उसमे बैठे व्यक्ति का नाम व पता पूछा गया तो उसने अपना नाम **सत्यशील तिवारी पुत्र**

स्व0 श्यामाचरन तिवारी सा0 बौवापार थाना बरदह जनपद आजमगढ 54 वर्ष बताया। **गिरफ्तारशुदा उपरोक्त व्यक्ति थाना हाजा के** मु0अ0स0 141/21 धारा 147/148/149/452/302/307 भा0द0वि0 7 सी0एल0ए0 एक्ट **में नामजद वांछित अभियुक्त है जिसे कारण गिरफ्तारी बताकर** समय करीब 06.10 बजे सुबह **हिरासत पुलिस में लिया गया । अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।**

<u>पंजीकृत अभियोग</u>-

मु0अ0स0 141/21 धारा 147/148/149/452/302/307 भा0द0वि0 7 सी0एल0ए0 एक्ट

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>-

1. सत्यशील तिवारी पुत्र स्व0 श्यामाचरन तिवारी सा0 बौवापार थाना बरदह जनपद आजमगढ 54 वर्ष

<u>बरामदगी</u>-

एक अदद स्विफ्ट कार सफेद बिना नम्बर इं0न0 व चे0न0 क्रमशः K12NP1045039MBHCZCB3SMD783543

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-</u>

SHO विनय कुमार मिश्रा मय हमराह का0 ऐनुद्दीन फारूकी का0 हेमन्त कुमार, रि0का0 चन्द्रभूषण

<u>थाना- रानी की सराय</u>

<u>01 वांछित अपहरणकर्ता गिरफ्तार</u>

दिनांक 05.07.2021 को वादी मुकदमा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ उपस्थित थाना आकर एक किता प्रार्थना पत्र बावत दिनांक 05.07.2021 को खुद की भांजी उम्र करीब 13 वर्ष को मेरे गाँव के अभिषेक पुत्र काशी ग्राम बस्ती थाना रानी की सराय जनपद आजमढ़ द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बंध में दाखिल किया। कि दाखिला प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 77/2021 धारा 363/366 भा0द0वि0 बनाम अभिषेक पुत्र काशी ग्राम बस्ती थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान वांछित/वारण्टी की गिरफ्तारी तथा सदिग्ध व्यक्तियों के चेकिंग के तहत पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ व अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर के निर्देशन व प्रभारी निरीक्षक रानी की सराय के कुशल नेतृत्व में उ0नि0 अरविन्द कुमार यादव मय कां0 दीपक कुमार यादव व म0कां0 मीनू देवी द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 77/2021 धारा 363/366 भा0द0वि0 में नामजद वांछित अभियुक्त अभिषेक पुत्र काशी ग्राम बस्ती थाना रानी की सराय जनपद आजमढ़ को मुखबीरी सूचना पर आज दिनांक 06.07.2021 को समय करीब 11.10 बजे कोटिला तिराहा से गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

<u>पंजीकृत अभियोग</u>-

मु0अ0सं0 77/2021 धारा 363/366 भा0द0वि0 थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u> –

अभिषेक पुत्र काशी ग्राम बस्ती थाना रानी की सराय जनपद आजमढ़

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम</u>

उ0नि0 अरविन्द कुमार यादव, कां0 दीपक कुमार यादव, म0कां0 मीनू देवी थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़।